**दिनांकः 20.07.2024**

**-प्रेस नोट-**

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में 03 वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 19.07.2024 को वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बावत वादी की पुत्री सपना पुत्री ओमप्रकाश निवासी नंगला राई थाना चरथावल जनपद मु0नगर को अभियुक्तगण 1.ऋतिक पुत्र सतीश (पति) 2. सतीश पुत्र फुल्लु (ससुर) 3. कुसुम पत्नी सतीश (सास) निवासीगण ग्राम रत्नाखेडी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर 4.निशा पत्नी नीटू निवासी अम्बेहटा (चांद) थाना बड़गाँव जनपद सहारनपुर (ननद) द्वारा दहेज के रूप में 03 लाख रुपये नगद व ट्रैक्टर आदि की माँग करना व माँग पूरी न होने पर प्रताडित कर वादी की पुत्री सपना को मारकर, फन्दा लगाकर गेट पर लटका देने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 207/2024 धारा 80(2) / 85 बी0एन0एस0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल घटना का संज्ञान लेकर हत्या की घटना का अनावरण एवं अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.07.2024 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित **अभियुक्तगण 1. ऋतिक पुत्र सतीश 2. सतीश पुत्र फुल्लू व दिनांक 20.07.2024 को 3. श्रीमति कुसुम पत्नी सतीश निवासीगण ग्राम रत्नाखेडी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को इनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. ऋतिक पुत्र सतीश निवासी ग्राम रत्नाखेडी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. सतीश पुत्र फुल्लू निवासी ग्राम रत्नाखेडी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
3. श्रीमति कुसुम पत्नी सतीश निवासी ग्राम रत्नाखेडी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय जनपद सहारनपुर।
2. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 अजब सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. म0उ0नि0 नीतू सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. हैड का0 730 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. का0 250 कविन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. म0है0का0 630 सुमन शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
8. म0का0 1071 मोण्टी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 20.07.2024

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 19.07.2024 को वादिया/पीडिता द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बावत पीडिता के साथ अभियुक्त राघव पुत्र दिनेश निवासी जाटवनगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा शादी का झांसा देकर बार बार बलात्कार करना व पीडिता व उसकी बहनो के साथ गाली गलौच करना व फोटो वायरल करने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 209/2024 धारा 376/504/506 भादवि 5(L)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए घटना का अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। निर्देशों के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित **अभियुक्त राघव पुत्र दिनेश निवासी जाटवनगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

- राघव पुत्र दिनेश निवासी जाटवनगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर उम्र 20 वर्ष

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रामबाबू सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1811 राहुल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

**-प्रेस नोट-**

**दिनांकः 20.07.2024**

# <u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

**<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीश जिला जज सहारनपुर द्वारा हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः -</u>**

अवगत कराना है कि दिनांक 17.06.2023 को वादी महबूब पुत्र बुद्दू निवासी कुण्डाकला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के पुत्र व भतीजे के साथ अभियुक्त इरशाद पुत्र अफसर निवासी कुण्डा कला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा मारपीट करना, टैक्टर के हत्थे से सिर पर मारकर गम्भीर चोट पहुचाना, जिससे वादी के पुत्र मोबीन की मुत्यु हो जाने की सूचना पर मु0अ0सं0 163/2023 धारा 302,323,504 थाना गंगोह पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी 2285/2023 पर अपर जिला सत्र न्यायाधीष जिला जज जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीश जिला जज जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 20.07.2024 को अभियुक्त इरशाद पुत्र अफसर को धारा 302,323 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री राजबीर सिंह

विवेचक निरीक्षक श्री प्रभाकर कैन्तुरा

पैरोकार का0 2272 सौरव छौकर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर